

**vu|fpr tutkfr;k d f'k{kk lEcU/kh iko/kkuk d k jk"V'h;
f'k{kk uhfr 2020 d lUnHk e fo'y'k.kkREkd v/;;u
dfork jkor**

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारत

kavitarawat2303@gmail.com

'kk/k I kj&

भारत रंग-बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है जिसमें तरह-तरह के फूल एक साथ खिले हैं अर्थात् विभिन्न पृष्ठभूमि व संस्कृतियों से आए हुए मनुष्य एक साथ मिलजुल कर बिना भेद-भाव के आगे बढ़ते हैं। भारत ही ऐसा एकल राष्ट्र है जिसमें सबसे अधिक जनजातीय आबादी 8-6 ifr'kr है %Hkkjr dh tux.kukj 2011%A भारत में लगभग 705 अनुसूचित जनजातियाँ हैं %tutkrh; ekeyk dk e=ky; Hkkjr ljdkj 2011%A लेकिन इन जनजातियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं तथा यह जनजातियाँ शिक्षा, तकनीकी, सरकारी योजनाओं व अन्य समान अवसरों को प्राप्त करने में अपने साथ की अन्य जातियों से पिछड़ गई हैं। हम यह जानते हैं कि शिक्षा ही वह साधन है जो हमारे समाज का विकास करने, लोगों को जागरूक करने तथा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि शिक्षा को प्राप्त करने अर्थात् शिक्षा तक पहुँचने में कुछ कमियों व चुनौतियों तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है यही कठिनाईयें व चुनौतियाँ अनुसूचित जनजातियों के मनुष्यों के लिए शिक्षा में रुकावट पैदा करती हैं। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की आबादी काफी हद तक अपनी शैक्षिक स्थिति में सुधार कर रही है लेकिन अभी भी इनके सामने चुनौतियाँ व समस्याएँ कम नहीं हैं इनके सामने कुछ प्रमुख समस्याओं के अन्तर्गत— vi0;; ,o vojku dh leL;kj Hkk'kkxr leL;kj v/kj: nLrkotk dh leL;kj ekle iokl] vkfFkd fLFkr] fo|ky; dh njh] f'k{kdk dh deh आदि हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं जिसमें— ,dYK0; voklh; fo|ky; dh LFkkiuk] vkJe fo|ky; dh LFkkiuk Nk=ofRr ;ktuk] fo'k'k Nk=kokl lfo/kk,] tutkrh; f'k{kdk dh Hkrrh आदि शामिल हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समक्ष आने वाली शैक्षिक चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा इन चुनौतियों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का अध्ययन कर यह देखना की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं तथा यह प्रावधान जमीनी स्तर पर कितना सफल हो पाएंगे एवं कितनी जनजातियों की आबादी इन्हें अपनाने के लिए सामने आती है।

LkdIr “kCn& अनुसूचित जनजातियाँ, शैक्षिक प्रावधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ।



iLrkouk&

भारतीय समाज की संरचना में एक-दूसरे से भिन्न विशेषताओं वाले अनेक समुदायों का योगदान है। एक ओर हमारा समाज जहाँ परिस्थितिकीय सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर ग्रामीण और शहरी समुदाय में विभाजित है वही दूसरी ओर विभिन्न जातियों में भी हम जानते हैं कि हमारी भारतीय शिक्षा विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं से प्रभावित होती है जो धर्म, भाषा, जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्ग आदि पर आधारित होती है। यह असमानताएँ केवल शिक्षा प्राप्त करने में ही बाधा नहीं डालती है बल्कि यह व्यापक स्तर पर सामाजिक दूरियों व भेदभाव को भी बढ़ावा देती है यह असमानताएँ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर की जातियों को वंचित वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ आती हैं। भारतीय संविधान की धारा 340, धारा 341 तथा धारा 342 में आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को पिछड़े और कमजोर वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सर्वप्रथम 1960 में यू एन डेबर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था जिसे डेबर कमीशन कहते हैं। इस कमीशन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने का सुझाव दिया था इसके साथ ही इस वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री, वस्त्र व मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया था। **dkBkj deh'ku 1964&66%** ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की शिक्षा पर सुझाव दिए जिसमें डेबर कमीशन के सुझाव के पालन के साथ-साथ कबीलों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने और आदिवासी क्षेत्रों में अवासीय एवं निःशुल्क आश्रम स्कूल खोलने पर विशेष बल दिया गया था। **jk"Vh; f'k{kk uhfr 1986%** में भी इन वर्गों के लिए अनेक सुझाव दिए गए जैसे- छात्रावास की सुविधा, आर्थिक सहायता धनराशि बढ़ाई जाए, इन्हीं की भाषा में इनको शिक्षा देना, पाठ्यपुस्तक व मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाए ऑगनबाड़ी की स्थापना की जाए छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया जाए आरक्षण की सुविधा दी जाए। विभिन्न नीतियों व प्रावधानों के बावजूद भी अनुसूचित जनजातियों व हाशिए पर खड़े समुदायों को अक्सर बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुँच सीमित हो गई है। थोराट और न्यूमैन (2007) के शोध में पाया गया है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, शिक्षकों की उपेक्षा का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपमानित किया जाता है तथा हाशिए पर रखा जाना उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है। मानव विकास रिपोर्ट (2010) में भी यह पाया गया कि केवल 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति के विद्यार्थी ही प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं। जबकि उच्च जाति के 77 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की आवश्यकता को पहचानती है तथा समान शिक्षा के अवसर प्रदान करती है तथा इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करती है।

v/; ;u dh vko'; drk o egRo &

भारत में अनेक जनजातियाँ हैं जो भारत के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में गोड़, संधाल, भील, मीना, उराव, बोंडों और मुड़ा हैं। अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी लंबे समय से पिछड़ी रही हैं। इन्हें केवल नामांकन तक ही सीमित किया जाता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पीछे रह जाती है। यह ऐसी जनजातियाँ हैं जो हाशिए पर हैं। यदि हम समानता की बात करते हैं तो हमें इन जातियों को समान अवसर देने होंगे क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी सम्भव है जब हम सभी को समान सामाजिक न्याय देंगे तथा नीतियों का निर्माण कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रहा है यह नहीं। यह शोध



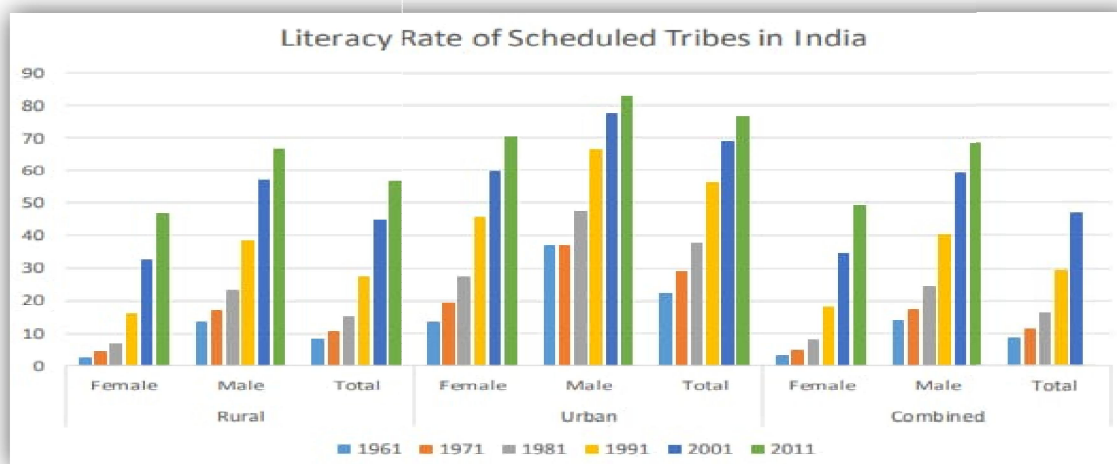
यह जानने में मदद करेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों की प्रभावशीलता कितनी है। इतनी नीतियों व प्रावधानों के बावजूद भी यह जनजातियों शिक्षा व अन्य अवसरों को प्राप्त करने में इतना पीछे कैसे रह गई है? इन सभी का अध्ययन करने के लिए शोध कार्य करना आवश्यक हो जाता है।

लेखक “अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन।”

लेखक “अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन।”

भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी यह मुख्यधारा से अलग है विशेष रूप से उच्च शिक्षा में। स्वतन्त्रता के समय अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा में कोई विशेष आरक्षण नहीं था और उनकी शैक्षिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 7.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है जिससे शैक्षिक संस्थानों में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। (जैविक; मप फ'क'क'क' 2020) फ'क'क' e=ky; %A सन् 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर लगभग 14 प्रतिशत थी जो अन्य की तुलना में कम थी। इन जनजातियों में स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की दर उच्च है। इस बीच महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है लेकिन पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है। यूडीआईएसई प्लस 2023-24 तथा 2024-25 के अनुसार प्राप्त डेटा यह बताता है कि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक में अच्छा है। लेकिन महिलाओं व पुरुषों की साक्षरता दर में महत्वपूर्ण अन्तर देखने को मिले है। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की साक्षरता दर 71.7 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 54.4 प्रतिशत थी।

अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है—



वर्तमान शिक्षण प्रणाली में अनुसूचित जातों की शिक्षा

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा
सम्बन्धी समस्याएँ निम्न हैं—

- 1— शिक्षकों की कम संख्या।
- 2— अपव्यय व अवरोधन की समस्या।
- 3— भाषा की समस्या।
- 4— भौगोलिक दूरी तथा पहुँच की समस्या।
- 5— निम्न साक्षरता दर।
- 6— विद्यालय की अनुपयुक्त संरचना।
- 7— भेदभाव की समस्या।
- 8— आर्थिक कठिनाईयाँ।
- 9— लिंग-भेद और सामाजिक असमानताएँ।
- 10— पुष्टि-प्रलेखन।

1. अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में ऐसे शिक्षकों की कमी है जो इन्हें समझ सकें तथा इनकी संस्कृति का सम्मान करें व इन्हें इनकी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षकों की कमी के कारण एक या दो शिक्षकों पर ही सभी छात्रों का दायित्व आ जाता है जिस कारण कक्षाएँ भीड़-भाड़ वाली हो जाती है और शिक्षक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह समस्या इन जनजातियों के लिए शिक्षा में रुकावट पैदा करती है। इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

2. अपव्यय से तात्पर्य पढ़ाई को बीच में छोड़ देने से है जबकि अवरोधन से तात्पर्य किसी विद्यार्थी को एक ही कक्षा में दो या दो से अधिक बार रोकने से अर्थात् फेल करने से है। अक्सर यह समस्या हमें दिखाई देती है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं तथा कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको एक ही कक्षा में एक या दो बार रोका गया हो ऐसे छात्र भी विद्यालय आना पसंद नहीं करते और धीरे-धीरे पढ़ाई से दूर भागते हैं जिस कारण वह उच्च स्तर तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। यह समस्या वर्तमान में काफी हद तक कम हो गई है।

3. जनजाति समुदाय के लोग अपनी भाषा व संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं तथा वह अपनी संस्कृति व अपने समूह के लोगों से ज्यादा जुड़ाव भी महसूस करते हैं। विद्यालयों में भाषा शिक्षक न होने के कारण यह विद्यालयों में जाना पसंद नहीं करते हैं।

4. ऐसी बहुत सी जनजातियाँ हैं जो गोंवों तथा जंगलों व पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं यहाँ पर्याप्त सुविधाएँ व अन्य उपयोगी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं इन स्थानों पर रहने वाली जनजातियाँ प्रकृति पर ही अपना जीवन यापन करती हैं। इन्हें घर से विद्यालय जाने के लिए लम्बा रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है यह आने जाने के लिए संसाधन नहीं है। ज्यादातर लड़कियाँ इसी कारण विद्यालय जाने से वंचित रह जाती हैं और जो किसी तरह विद्यालय जाती भी हैं उनकी उपस्थिति बहुत कम होती है।



5& fuEu l kfkjrk Lrj& अनुसूचित जनजातियों जो शुरुआत से ही शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी रही है तथा हाशिए पर अपना जीवन—व्यापन कर रही है उनमें जागरूकता की कमी के कारण व मुख्यधारा से अलग देखे जाने के कारण साक्षरता स्तर निम्न रहा है।

6& fo|ky; dh vui;Dr ljpuk& दूरदराज के इलाकों में विद्यालय या तो नहीं है और जो विद्यालय है उनकी संरचना अस्थायी है। विद्यालयों में संसाधनों की कमी है जैसे शौचालय, पीने का पानी, बैठने के लिए कुर्सियाँ, पुस्तकालय, व अन्य उपयोगी साधन न के बराबर है। जिस कारण बच्चे विद्यालय जाना नहीं चाहते हैं। इससे साक्षरता स्तर तो निम्न होता ही है कुछ समय बाद विद्यालय की स्थिति और भी खराब हो जाती है।

7& HknHkko dh leL;k& अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको हेय की दृष्टि से देखा जाता है। इनके साथ विद्यालयों में, पड़ोस में समारोह में व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है तथा तिरस्कार किया जाता है। यह जातिगत भेदभाव गरीबी, सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी से जुड़ा हुआ है। जिस कारण इनके सम्मान को ठेस पहुँचती है और यह विद्यालय नहीं जाना चाहते।

8& vkfFkd dfBukb;k& अनुसूचित जनजातियों को अपने जीवन में बहुत सी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जैसे— गरीबी, रोजगार की कमी, भूमि का अलगाव, सीमित वित्तीय सुविधाएँ, जागरूकता में कमी, पारंपरिक व्यवसायों का पतन, बुनियादी सुविधाओं का अभाव आदि। यही कारण है कि इनकी शैक्षिक व आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

9& fyx&Hkn vkj lkekftd vlekurk,| & लिंग भेद एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कहीं न कहीं प्रत्येक जाति के बच्चों को करना पड़ता है। जिस कारण वह अन्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इस समस्या का सामना सबसे अधिक लड़कियों को करना पड़ता है। उनके सामने अनेक चुनौतियाँ होती हैं जैसे— घर का कार्य करके विद्यालय जाना, आर्थिक कठिनाईयों, सुरक्षा का डर, घर के बड़ों की मानसिक स्थिति आदि।

10& if'V&iy[ku & अनुसूचित जनजातियों के लिए यह एक मुख्य समस्या है। पुष्टि प्रलेखन के अन्तर्गत— जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि आते हैं। जो इनके पास असानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। जिस कारण इन्हें अपनी पहचान और अधिकारों को स्थापित करने में कठिनाई आती है इसके साथ ही इन्हें विद्यालय में प्रवेश लेने में भी बाधा आती है।

vulfrpr tutkfr;k d fy, ljdkj }kjk fd, x, ljdkjh i;k| &

- ❖ **vkolh; fo|ky;k dh LFkkiuk &** आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल और आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये हैं, जहाँ उन्हें मुफ्त शिक्षा और आवास प्रदान किया जाता है। **%tutkrh; ekeyk dk e=ky;] Hkkjr ljdkj%A**
- ❖ **vkfnoklh mi;k tuk&** यह योजना अनुसूचित जनजातियों के लिए समर्पित है जिसमें उनकी शिक्षा और विकास के लिए विशेष बजट आवंटित होता है। **%;k tuk vk;kx] Hkkjr ljdkj%A**
- ❖ **io'efVd Nk=ofRr ;k tuk&** अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की। इसमें कक्षा एक से कक्षा 10 तक तथा कक्षा 9 और कक्षा 10 के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी ताकि वह अपनी माध्यमिक शिक्षा जारी रख सकें। **Iandian Government Portal 1**
- ❖ **jktho xk/kh jk"Vh; Qykf'ki&** यह फेलोशिप अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र—छात्राओं को दी जाती है जो एम0 फिल0 या पी—एच0डी0 कर रहे हैं।



- ❖ **jk'Vh; fon'k Nk=ofrr ;ktuk&** यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जो विदेश में मास्टर्स, पीएचडी कर रहे हैं उन्हें दी जाती है।
- ❖ **de lk{kjrk oky ftyk e vulfpr tutkfr; k dh yMfd; k dh f'k{k k dk ln< dju dh ;ktuk&** इस योजना के अन्तर्गत उन जिलों तथा ब्लॉकों में जहाँ अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं व लड़कियों की साक्षरता दर बहुत कम है, विशेष पहल लड़कियों की पहुँच, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने पर जोर है।
- ❖ **0;kolk;d if'k{k.k dUn&** आदिवासी इलाकों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र बनाने की योजना जहाँ युवक-युवतियों कौशल सीख कर रोजगार योग्य बनें।
- ❖ **mPp J.kh f'k{k k ;k dk'ky&mUe[k vkj mRdV f'k{k k ;ktuk, | &** इस योजना के अन्तर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा व बेहतर अवसर सुनिश्चित करना है।
- ❖ **fo'k'k Nk=kokl lfo/kk, &** अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कूलों और कॉलेजों के पास छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। कई राज्यों में यह सुविधा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए भी है।
- ❖ **tutkrh; f'k{kdk dh Hkrh&** आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जनजातीय पृष्ठभूमि से शिक्षकों की भर्ती की जाती है ताकि छात्र अपनी भाषा और संस्कृति के साथ अधिक आरमदायक महसूस करे और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके।
- ❖ **tokgj uokn; fo|ky; &** अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष स्थान आरक्षित होते हैं इन विद्यालयों में इन्हें शिक्षा आवास और अन्य सुविधायें मुफ्त में प्रदान की जाती है।
- ❖ **fo'k'k ikB; Øe&** कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं जिनमें उनकी स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुये शिक्षा को सुलभ बनाना है।
- ❖ **b&yfux vkj fMftVy f'k{k k&** अनुसूचित जनजाति के छात्रों को डिजिटल शिक्षा में जोड़ने के लिए स्मार्टफोन क्लासरूम टैबलेट वितरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे योजनाएं चलाई जाती है। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा तक पहुंचने में मदद मिलती है।

vulfpr tutkfr; k di fy, jk'Vh; f'k{k k uhfr 2020 e fd, x, ie[k k iko/kku&

- **ekrHkk'kk o LFkkuh; Hkk'kk e: ikjfeHkd f'k{k k&** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर छात्र-छात्राओं को मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे आदिवासी बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़े।
- **,dy0; ekMy vkoklh; fo|ky; k dk foLrkj&** अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- **MkivkmV dh nj de djuk&** जनजातिये क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए विद्यालयों की भौगोलिक उपलब्धता, आवासीय विद्यालयों की स्थापना आदि से ड्रापआउट दर घटाई जाएगी।



- **ILNfr&lonh ikB;p;k&** आदिवासी समुदायों की लोक परम्पराओं, कला, संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यचर्या में शामिल करने की सिफारिश। इससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और स्थानीय जीवन से जुड़ी होगी।
- **fMftVy vkj rduhdh rd igp&** आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना और ऑनलाइन शिक्षा के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल उपकरण, इंटरनेट एक्सेस और आईसीटी आधारित शिक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी।
- **vkfKd lgk;rk o lfo/kk,| &** अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की फीस माफ, मुफ्त पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और परिवहन की सुविधा का प्रावधान।
- **vkj{k.k ,o lHV&** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों के लिए 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों और 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शुल्क माफी तथा मुफ्त पुस्तकें देने का प्रावधान है।
- **tokgj uokn; fo|ky; e ikFfedrk&** नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सीट आरक्षण प्रदान करने का उल्लेख है।
- **lfo/kkfud vkj leko'kh f'k{kk fl}krk d: vu:lk uhfr&** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल समान अवसर देने की दिशा में सोचती है, बल्कि इसे भारत के संविधान के समावेशी शिक्षा और ऐतिहासिक सामाजिक न्याय सिद्धांतों से जोड़ती है।
- **ILNfr&lonh vkj vkfnoklh Kku i:kkylh dk leko'ku&** कुछ विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह संभावना है कि पाठ्यचर्या को आदिवासी संस्कृतियों, लोकज्ञान एवं स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने के उपाय हों, ताकि आदिवासी छात्रों की भाषा, संस्कृति एवं पहचान को बनाए रखा जा सके। उदाहरण के लिए, लेख – **Cultural Identity of Tribals in Relation to NEP 2020** में इस विषय पर चर्चा की गई है।

fu'd'k

अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जो सामान्य जातियों से पिछड़ गई हैं। यह जंगलों या प्राकृतिक वातावरण में जीवन यापन करती हैं। दूरदराज क्षेत्रों में होने के कारण इनके पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है जिस कारण इनका शैक्षिक स्तर तथा आर्थिक स्तर निम्न है तथा इन्हें हेय की दृष्टि से देखा जाता था। यह ऐसी जातियाँ हैं जो अपनी संस्कृति, भाषा, समूह, तथा अपने क्षेत्र से जुड़ाव महसूस करती हैं तथा संस्कृति का सम्मान भी करती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जो प्रकृति पर निर्भर हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा इनके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अनेक समस्याएँ और चुनौतियाँ अभी भी इनके सामने आ जाती हैं सरकार द्वारा इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में यह रह रही है सरकार द्वारा व समाज द्वारा तथा अन्य संस्थाओं द्वारा इन्हें संरक्षित करने का कार्य किया जाना चाहिए। इनके लिए विद्यालयों में महिला शिक्षिका की व्यवस्था भी करनी चाहिए तथा आधुनिकीकरण के नाम पर इनके क्षेत्रों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।



इन जातियों को शिक्षित करने के लिए इनकी भाषा व संस्कृति को शिक्षा में महत्व देना चाहिए तथा सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनकी जांच करनी चाहिए ताकि जो भी प्रावधान व योजनाएँ इन जनजातियों के लिए लागू की जा रही हैं वह जमीनी स्तर पर कार्य कर सके ताकि यह जनजातियाँ विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके और शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके तभी इनकी साक्षरता दर में वृद्धि हो सकेगी।

References

- रावत, के. & बाजपेयी (2024) स्वतन्त्रता पश्चात अनुसूचित जनजातियों की स्थिति तथा उनकी उन्नति हेतु प्रावधान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, दी अकेडमिक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिपलिनरी रिसर्च, वॉल्यूम 2(10), पेज नम्बर 115–129.
- शर्मा, आ0 (2025) भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएँ, भारतीय आधुनिक शिक्षा, 37(02), पेज नम्बर–102–109. <https://ejournals.ncert.gov.in/index.php/bas/article/view/3137>
- Government of India, Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- “Benefits to tribals Under National Education Policy, 2020” (2021, December 6). Press Information Bureau, Government of India. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1778507>
- Bramhane, A. (2024, September). Implications of NEP- 2020 on Tribal Education: Challenges and Opportunities. (Conference paper).
- Singh, D., & Mishra, R.S. (2023). Equity and Inclusion in India Education: Constitutional Principles and NEP 2020 Approaches.
- Mangat, P.K. (2024). Inclusivity in Higher Education: Analysing the Implementation of NEP 2020 for Marginalized Communities in India. ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5(1), 1900-1910. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5i1.2024.1990>
- Ghurye, G.S. (1963) The Scheduled Tribes of India, transaction books; London (U.K.)
- चैटर्जी, एस0 के0 (2000) एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ शिड्यूल्ड कास्टस: लुकिंग अहेड: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- ठाकुर, यतीन्द्र 2019 समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
- <http://www.pib.gov.in>
- <https://www.nextias.com>
- <http://ejournals.ncert.gov.in>

